न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 08/2020

प्रार्थी–

महेन्द्र कुमार भाटी पुत्र खेताराम
जाति घांची निवासी समदड़ी
तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी
2. श्री जबरेश्वर महादेव मंदिर समिति समदड़ी जरिये सदस्यगण–

2.1. हड़मानाराम पुत्र नरसिंगाराम
2.2. जमनाराम पुत्र मिश्राराम
2.3. चम्पालाल पुत्र दुर्गाराम
2.4. नारायणराम पुत्र थानाराम

जाति घांची निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 47 दिनांक 23.08.2014 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल पूनड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा ... सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 ... समदड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 47 दिनांक 23.08.2014 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1456 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:33 IST
Reason: SelfAttested

समदड़ी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत समदड़ी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित नियम 157(2) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने पदीय कर्तव्यों से परे अप्रार्थी संख्या 2 को फायदा पहुंचाने के लिये आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे की शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर विकास अधिकारी समदड़ी द्वारा जांच कर रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रस्तुत की एवं उक्त पट्टा नियम विरूद्ध मानते हुये खारिज किया जाने की अनुशंषा की गई है। विकास अधिकारी द्वारा उक्त जांच की निरन्तरता में अपने पत्र संख्या 11279 दिनांक 13.01.2020 को पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही के संबंध में असमर्थता जाहिर कर निवेदन किया कि पट्टा जारी होने की 90 दिन की अवधि गुजर चुकी है इसलिए उक्त आदेश की अपील में पंचायत समिति स्तर पर आदेश पारित करना संभव नहीं है। अप्रार्थी सार्वजनिक मंदिर की भूमि जहां श्रद्धालुओं के आवागमन ... में आती है, पर दुकानों का निर्माण कर अपने निजी स्वार्थ ... व्यवसाय प्रारम्भ करना चाहते हैं। विप्रार्थीगण ने मंदिर की एवं सार्वजनिक चौक की भूमि को हड़प करने के आशय से गलत पट्टा जारी करवाया है। श्री जबरेश्वर महादेव मंदिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर बाड़मेर

समिति समदड़ी के नाम से राजस्थान सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीबद्ध नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त समिति का अनुमोदन गलत रूप से नियम विरूद्ध किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2.1, 2.2 एवं 2.3 के परिवार के सदस्य तत्कालीन पंचायत में वार्ड पंच होने से इनके द्वारा सरपंच को अपने प्रभाव में लेकर आलौच्य पट्टा जारी कराया गया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी ग्राम समदड़ी का निवासी है एवं आलौच्य पट्टे के अधीन रखी गई सार्वजनिक मंदिर एवं चौक की भूमि का उपयोग करने का अधिकारी होने से यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो उपर्युक्त आधारों पर स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा सार्वजनिक जबरेश्वर महादेव मंदिर की भूमि का पट्टा विलेख मंदिर प्रबंधन समिति के नाम से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है। इस भूखण्ड पर किसी भी व्यक्ति का निजी हित निहित नहीं है और न ही किसी सदस्य द्वारा अपने निजी लाभ हेतु उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी का अपना निजी दूध का व्यवसाय है जिस हेतु वह वाहन इत्यादि को इस परिसर में खड़ा कर आमजन को मंदिर प्रवेश में बाधित करता है। इस पर ग्राम पंचायत समदड़ी के आम निवासियों की राय पर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा उक्त भूखण्ड की सुरक्षा हेतु चारदिवारी का निर्माण कराया गया है तथा भूखण्ड की परिसीमाऐं चिह्नित कर मंदिर के नाम ही आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी स्वयं ने अपनी निगरानी में यह निजी स्वार्थ प्रकट किया है कि मंदिर की सार्वजनिक भूमि का उपयोग करने का वह अधिकारी [illegible] अपने दूध के व्यवसाय प्रयोजन हेतु इस भूमि का [illegible] है जिसे रोकने हेतु यह पट्टा विलेख जारी कर भूमि को सुरक्षित किया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ने किसी भी रूप से इस भूमि का गलत तरीके से उपयोग का आशय नहीं रखा है। अतः सार्वजनिक हित को देखते हुए प्रार्थी के गलत मंसूबों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:33 IST
Reason: SelfAttested

हतोत्साहित करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज कर आलौच्य पट्टा विलेख बहाल रखे जाने का आदेश फरमावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 2 को निजी लाभ पहुंचाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे की शिकायत करने पर विकास अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर पड़ौसियान के बयान आदि लेकर जांच की गई। जांच में पाया गया कि वर्ष 1982–83 में ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक महादेव जी एवं हनुमान जी का मंदिर निर्माण कराया गया था। मौके पर आज दोनों मंदिर एवं शनिदेवजी का चबूतरा निर्मित है जो कि सार्वजनिक है एवं सभी वर्ग के द्वारा पूजा–अर्चना की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा मंदिर के नाम निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टा जारी किया जा सकता है तथा नियम 162 के तहत सरकारी संस्थाओं को निःशुल्क आबादी भूमि का पट्टा आवंटन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा मंदिर समिति के नाम से आलौच्य पट्टा निःशुल्क जारी किया गया है जो नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार विकास अधिकारी की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन कर उक्त पट्टा जारी किया गया है जबकि मंदिर समिति के पक्ष में इन प्रावधानों के तहत भूखण्ड नियमन नहीं किया जा सकता है और न ही इस समिति [illegible] व्यक्ति की परिभाषा में आता है। इस प्रकार ग्[illegible] जारी करने में इस बिन्दु पर पूर्णतया अवैधता [illegible] बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अवैधता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish[illegible] Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा बैठक दिनांक 05.06.2014 के संकल्प सं. 2 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 47 दिनांक 23.08.2014 को अपास्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:33 IST
Reason: SelfAttested